INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

भारत में जनजातीय अधिकारों का संवैधानिक एवं विधिक संरक्षण: छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में एक सामाजिक-कानूनी अध्ययन

[1]अपर्णा सिंह, डॉ. राजीव नैन सिंह[2]
[1]शोधार्थी, भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
[2]शोध निर्देशक, एसोसिएट प्रोफेसर (विभाग:कानून), भारती विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

सारांश

भारत में जनजातीय समुदायों के अधिकारों का प्रश्न केवल कल्याणकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है; यह संविधान, भूमि-संबंध, स्थानीय स्वशासन, वन-आधारित आजीविका, सांस्कृतिक पहचान और मानव गरिमा से जुड़ा हुआ सामाजिक-कानूनी प्रश्न है। यह शोध-पत्र भारत में अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक और विधिक संरक्षण का विश्लेषण करता है तथा छत्तीसगढ़ को विशेष अध्ययन-क्षेत्र के रूप में ग्रहण करता है। छत्तीसगढ़ इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या बड़ी है, अनेक जिले जनजातीय उप-योजना और अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े हैं, तथा वन, खनिज, विस्थापन, ग्राम सभा और सुरक्षा-संबंधी प्रश्न यहां अधिकार-चर्चा को जटिल बनाते हैं। अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और सामाजिक-कानूनी है। इसमें संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 244, 275(1), 338A और 342, पांचवीं अनुसूची, पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996, वन अधिकार अधिनियम 2006, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 तथा छत्तीसगढ़ के पेसा नियम 2022 का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन यह निष्कर्ष देता है कि भारतीय विधि-व्यवस्था जनजातीय अधिकारों को पर्याप्त संवैधानिक आधार देती है, परंतु वास्तविक संरक्षण का स्तर ग्राम सभा की प्रभावी स्वायत्तता, वन अधिकारों की पारदर्शी मान्यता, भूमि-अन्य संक्रमण की रोकथाम, न्याय तक पहुंच, और प्रशासनिक जवाबदेही पर निर्भर करता है। छत्तीसगढ़ का अनुभव बताता है कि अधिकारों की घोषणा और अधिकारों की वास्तविक प्राप्ति के बीच अभी भी गंभीर कार्यान्वयन-अंतर मौजूद है।

कीवर्ड: जनजातीय अधिकार, पांचवीं अनुसूची, पेसा, वन अधिकार अधिनियम, ग्राम सभा, छत्तीसगढ़, भूमि-अधिकार, सामाजिक न्याय, अनुसूचित जनजाति, विधिक संरक्षण

1. प्रस्तावना

भारत का संविधान एक ओर समान नागरिकता का सिद्धांत देता है और दूसरी ओर ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों के लिए विशेष संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुसूचित जनजातियां इसी संवैधानिक परियोजना का महत्त्वपूर्ण भाग हैं। जनजातीय समुदायों की समस्याएं केवल गरीबी या पिछड़ेपन के सामान्य संकेतकों से नहीं समझी जा सकतीं, क्योंकि इनका संबंध भूमि, जंगल, जल, परंपरागत शासन, सांस्कृतिक स्वतंत्रता, भाषा, आजीविका और राजनीतिक प्रतिनिधित्व से है। इसीलिए जनजातीय अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान ने सामान्य मौलिक अधिकारों के साथ-साथ विशेष प्रावधान भी बनाए हैं।

जनजातीय अधिकारों का भारतीय ढांचा तीन स्तरों पर कार्य करता है। पहला, संविधान अनुसूचित जनजातियों की पहचान, प्रतिनिधित्व, आरक्षण, शैक्षिक और आर्थिक उन्नयन तथा राष्ट्रीय आयोग जैसे संस्थागत उपाय प्रदान करता है। दूसरा, विशेष विधियां जैसे पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 ग्राम सभा,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

सामुदायिक वन संसाधन, लघु वनोपज, भूमि और आजीविका से जुड़े अधिकारों को मान्यता देती हैं। तीसरा, न्यायपालिका इन अधिकारों की व्याख्या करते हुए राज्य, बाजार और समुदाय के बीच संतुलन निर्मित करती है।

छत्तीसगढ़ इस अध्ययन के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है। राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 255.45 लाख थी, जिसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 78.22 लाख बताई गई है। राज्य में गोंड और उसकी उप-जनजातियां, माड़िया, मुरिया, दोरला, उरांव, कंवर, बिंझवार, बैगा, भतरा, कमार, हल्बा, संवर, नागेसिया, मझवार, खड़िया और धनवार जैसी जनजातियां बड़ी संख्या में रहती हैं। राज्य के कई जिले जनजातीय उप-योजना और अनुसूचित क्षेत्रों से जुड़े हैं, इसलिए यहां संवैधानिक संरक्षण का स्थानीय अर्थ अत्यंत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

इस शोध-पत्र का मूल प्रश्न यह है कि भारत में जनजातीय अधिकारों की संवैधानिक और विधिक व्यवस्था किस सीमा तक प्रभावी है और छत्तीसगढ़ के सामाजिक-कानूनी संदर्भ में इसके सामने कौन-सी चुनौतियां उपस्थित होती हैं। अध्ययन का उद्देश्य कानून की केवल सूची बनाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि विधिक संरक्षण जनजातीय समुदायों के जीवन में भूमि-सुरक्षा, आजीविका, सांस्कृतिक गरिमा और न्याय की पहुंच को किस प्रकार प्रभावित करता है।

1.1 समस्या कथन

भारतीय विधि-व्यवस्था जनजातीय समुदायों के संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान देती है, फिर भी व्यवहार में भूमि-अधिग्रहण, खनन, वन-अधिकार दावों की अस्वीकृति, वन विभाग और ग्राम सभा के बीच अधिकार-विवाद, विस्थापन, भाषाई दूरी, पुलिस-प्रशासनिक दबाव और न्याय तक सीमित पहुंच जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। छत्तीसगढ़ में ये चुनौतियां विशेष रूप से तीव्र हैं क्योंकि यहां वन-क्षेत्र, खनिज-संपदा, जनजातीय आबादी और विकास-परियोजनाएं एक ही भू-राजनीतिक क्षेत्र में मिलती हैं। समस्या यह है कि क्या संवैधानिक और विधिक संरक्षण वास्तविक स्वायत्तता और न्याय में बदल रहा है या वह केवल प्रशासनिक कागजों तक सीमित है।

1.2 अध्ययन का महत्व

यह अध्ययन इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि जनजातीय अधिकारों को केवल आरक्षण या कल्याण योजनाओं की दृष्टि से देखना अपर्याप्त है। जनजातीय न्याय का प्रश्न प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण, सामाजिक सम्मान, सामुदायिक निर्णय-प्रक्रिया और सांस्कृतिक अस्तित्व से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ में पेसा नियम 2022, वन अधिकार अधिनियम का कार्यान्वयन, ग्राम सभा की भूमिका और अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि-संरक्षण जैसे विषय समकालीन कानूनी और सामाजिक विमर्श के केंद्र में हैं।

अध्ययन विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, विधि-व्यवसायियों और नीति-निर्माताओं के लिए उपयोगी है क्योंकि यह कानून के प्रावधानों को स्थानीय सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ता है। इससे यह समझने में सहायता मिलती है कि अधिकारों का वास्तविक प्रभाव केवल विधि-पुस्तकों से नहीं बल्कि उनके क्रियान्वयन, संस्थागत क्षमता और समुदाय की भागीदारी से निर्धारित होता है।

1.3 अध्ययन के उद्देश्य

1. भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों का विश्लेषण करना।

2. पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, अत्याचार निवारण अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम जैसे प्रमुख विधिक साधनों का अध्ययन करना।

3. छत्तीसगढ़ में जनजातीय आबादी, अनुसूचित क्षेत्रों, ग्राम सभा और वन अधिकारों की सामाजिक-कानूनी स्थिति

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

को समझना।

4. न्यायिक निर्णयों के आधार पर जनजातीय भूमि, संसाधन और स्वशासन अधिकारों की व्याख्या करना।

5. कार्यावयन-समस्याओं और नीति-सुझावों की पहचान करना ताकि जनजातीय अधिकारों का संरक्षण अधिक प्रभावी हो सके।

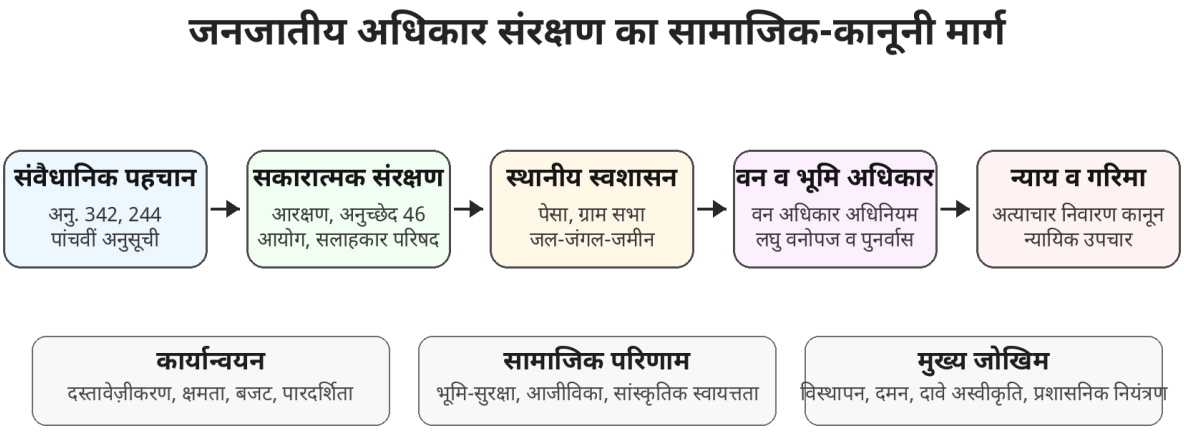

चित्र 1. संवैधानिक पहचान से सामाजिक न्याय तक जनजातीय अधिकार संरक्षण का मार्ग।

2. संवैधानिक और विधिक पृष्ठभूमि

भारत में अनुसूचित जनजातियों का संवैधानिक संरक्षण केवल समानता के सामान्य अधिकारों पर आधारित नहीं है। संविधान ने यह स्वीकार किया कि कुछ समुदायों की ऐतिहासिक स्थिति ऐसी रही है कि उनके लिए समान अवसर को वास्तविक बनाने हेतु विशेष संरक्षण आवश्यक है। अनुच्छेद 15(4) और 16(4) सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति-जनजातियों के लिए विशेष प्रावधानों और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का आधार बनाते हैं। अनुच्छेद 46 राज्य को निर्देश देता है कि वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष देखभाल करे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए।

अनुच्छेद 244 पांचवीं और छठी अनुसूची से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ का मामला मुख्यतः पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। पांचवीं अनुसूची राज्यपाल को अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष जिम्मेदारी देती है और जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था करती है। इसका उद्देश्य यह है कि प्रशासनिक निर्णय स्थानीय जनजातीय हितों से कटे हुए न रहें। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि-अन्य संक्रमण, धन-उधार और संसाधन-उपयोग पर नियंत्रण जैसी व्यवस्थाएं इसी संवैधानिक दर्शन से जुड़ी हैं।

अनुच्छेद 338A ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक स्थिति दी। आयोग का कर्तव्य जनजातीय समुदायों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और विधिक सुरक्षा उपायों की निगरानी करना, शिकायतों की जांच करना और सरकार को सलाह देना है। अनुच्छेद 342 राष्ट्रपति को राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजातियों की सूची अधिसूचित करने की शक्ति देता है। इस प्रकार जनजातीय पहचान स्वयं संवैधानिक प्रक्रिया से निर्धारित होती है, न कि केवल स्थानीय सामाजिक मान्यता से।

तालिका 1. अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रमुख संवैधानिक संरक्षण।

संवैधानिक/विधिक आधार	मुख्य संरक्षण	छत्तीसगढ़ में प्रासंगिकता

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

अनुच्छेद 15(4), 16(4)	शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में विशेष प्रावधान तथा आरक्षण	जनजातीय युवाओं की शिक्षा, भर्ती और प्रतिनिधित्व में अवसर-विस्तार
अनुच्छेद 46	शैक्षिक-आर्थिक हितों की विशेष देखभाल और शोषण से संरक्षण	कल्याण योजनाओं, छात्रावास, छात्रवृत्ति और आजीविका कार्यक्रमों का आधार
अनुच्छेद 244 व पांचवीं अनुसूची	अनुसूचित क्षेत्रों का विशेष प्रशासन, TAC, राज्यपाल की भूमिका	बस्तर, सरगुजा और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय शासन का संवैधानिक ढांचा
अनुच्छेद 275(1)	जनजातीय कल्याण हेतु संघीय अनुदान	जनजातीय उप-योजना और विशेष विकास कार्यक्रमों को वित्तीय समर्थन
अनुच्छेद 338A	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग	शिकायत, निगरानी और नीति-परामर्श का संवैधानिक मंच
अनुच्छेद 342	ST सूची का राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचन	जातीय/जनजातीय पहचान और प्रमाणपत्र विवादों का संवैधानिक आधार

2.1 पेसा अधिनियम और ग्राम सभा

पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 यानी पेसा अधिनियम जनजातीय स्वशासन का केंद्रीय विधिक साधन है। इसका उद्देश्य यह है कि पंचायती राज संस्थाओं का सामान्य ढांचा अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय परंपराओं, सामुदायिक संसाधनों और ग्राम सभा की स्वायत्तता के अनुकूल लागू हो। पेसा ग्राम सभा को परंपरागत रीति-रिवाजों, सामुदायिक संसाधनों और विवाद-निपटान की भूमिका से जोड़ता है। यह अधिनियम भूमि-अधिग्रहण से पहले परामर्श, लघु जल निकायों, लघु खनिजों, लघु वनोपज, नशाबंदी और भूमि-अन्य संक्रमण की रोकथाम जैसे विषयों को ग्राम सभा की भूमिका से जोड़ता है।

छत्तीसगढ़ में पेसा नियम 2022 का महत्व इस बात में है कि राज्य स्तर पर ग्राम सभा की संस्थागत शक्तियों को नियमों में रूपांतरित किया गया। पंचायती राज मंत्रालय के आधिकारिक पोर्टल पर छत्तीसगढ़ पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम, 2022 उपलब्ध हैं। नियमों का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि ग्राम सभा को निर्णय लेने का वास्तविक अवसर मिलता है या नहीं, उसके प्रस्तावों को प्रशासन कितना बाध्यकारी मानता है, और क्या आदिवासी महिलाएं, युवा तथा पारंपरिक नेतृत्व वास्तविक रूप से भाग लेते हैं।

2.2 वन अधिकार अधिनियम, 2006

वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूरा नाम अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना है क्योंकि अनेक वनवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर रहे, किंतु उनके अधिकार औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक वन प्रशासन में दर्ज नहीं हुए। अधिनियम व्यक्तिगत वन अधिकार, सामुदायिक अधिकार, लघु वनोपज पर अधिकार, चराई, निवास, सामुदायिक वन संसाधन और संरक्षण-प्रबंधन से संबंधित अधिकारों को मान्यता देता है।

छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में FRA का महत्व विशेष है क्योंकि जनजातीय आजीविका वन, महुआ, तेंदूपत्ता, साल बीज, चार, लाख, औषधीय पौधों और सामुदायिक संसाधनों से जुड़ी है। यदि वन अधिकारों की मान्यता केवल व्यक्तिगत पट्टों तक सीमित रह जाए और सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को कमजोर किया जाए, तो अधिनियम का वास्तविक सामाजिक उद्देश्य पूरा नहीं होता। इसलिए FRA को केवल भूमि-पट्टा वितरण की योजना नहीं बल्कि सामुदायिक स्वशासन और संसाधन-न्याय का कानून समझना चाहिए।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

2.3 अत्याचार निवारण, भूमि-अधिग्रहण और राज्य विधियां

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 जनजातीय समुदायों की गरिमा और सुरक्षा से जुड़ा कानून है। इसका उद्देश्य जाति और जनजाति आधारित अपमान, हिंसा, भूमि से बेदखली, सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न जैसे अपराधों को रोकना तथा विशेष न्यायालयों के माध्यम से प्रभावी उपचार देना है। जनजातीय अधिकारों की सामाजिक-कानूनी समझ में यह अधिनियम आवश्यक है क्योंकि भूमि और संसाधन विवाद अक्सर सामाजिक अपमान और हिंसा से जुड़े होते हैं।

भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान रखता है। इसका उद्देश्य भूमि-अधिग्रहण को अधिक परामर्शी, पारदर्शी और मानवीय बनाना है। छत्तीसगढ़ में खनन, उद्योग और अवसंरचना परियोजनाओं के संदर्भ में यह विशेष महत्त्व रखता है। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-B जैसे प्रावधान आदिवासी भूमि के अवैध हस्तांतरण की वापसी से संबंधित हैं।

3. साहित्य समीक्षा

जनजातीय अधिकारों पर उपलब्ध साहित्य को व्यापक रूप से चार धाराओं में बांटा जा सकता है। पहली धारा संवैधानिक संरक्षण और पांचवीं अनुसूची की प्रशासनिक संरचना पर केंद्रित है। इस साहित्य में यह तर्क मिलता है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए सामान्य प्रशासनिक मॉडल पर्याप्त नहीं है क्योंकि वहां प्राकृतिक संसाधन, सामुदायिक स्वशासन और सांस्कृतिक पहचान का संबंध बहुत गहरा है। Xaxa समिति की रिपोर्ट ने भी जनजातीय समुदायों की स्थिति को शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, विस्थापन, कानूनी संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ जोड़कर देखने की आवश्यकता पर बल दिया।

दूसरी धारा पेसा और ग्राम सभा पर केंद्रित है। यह साहित्य बताता है कि पेसा केवल विकेंद्रीकरण का कानून नहीं है, बल्कि वह औपनिवेशिक और केंद्रीकृत प्रशासन से अलग एक सामुदायिक लोकतंत्र का विचार प्रस्तुत करता है। ग्राम सभा को लघु वनोपज, सामाजिक प्रथाओं, लघु खनिजों और भूमि-अधिग्रहण से जुड़ी भूमिका देकर पेसा संविधान की पांचवीं अनुसूची को लोकतांत्रिक आधार देता है। फिर भी कई अध्ययनों में यह बताया गया है कि राज्य स्तर के नियमों और प्रशासनिक प्रक्रिया में ग्राम सभा की शक्ति अक्सर कमजोर हो जाती है।

तीसरी धारा वन अधिकार अधिनियम और सामुदायिक वन संसाधनों से जुड़ी है। इस साहित्य का मूल तर्क है कि FRA ने वन-निवासी समुदायों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि अधिकारधारी माना। वन विभाग-केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर ग्राम सभा-केंद्रित मॉडल की स्थापना इसका प्रमुख उद्देश्य है। हालांकि व्यवहार में प्रमाण, सीमांकन, नक्शा, दावे की जांच, सामुदायिक अधिकारों की पहचान और संरक्षण क्षेत्रों में सहमति जैसे मुद्दों पर संघर्ष बना रहता है।

चौथी धारा छत्तीसगढ़, बस्तर और संसाधन-राजनीति से जुड़ी है। छत्तीसगढ़ में खनन, सुरक्षा-संघर्ष, नक्सलवाद, विस्थापन और वन शासन ने जनजातीय अधिकारों की प्रकृति को जटिल बनाया है। Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य द्वारा समर्थित सशस्त्र समूहों और विशेष पुलिस अधिकारियों के प्रश्न पर संवैधानिकता, मानवाधिकार और राज्य की जिम्मेदारी पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की। इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि जनजातीय क्षेत्रों में सुरक्षा-नीति भी विधिक और संवैधानिक मर्यादाओं से बंधी है।

तालिका 2. साहित्य समीक्षा की प्रमुख थीमों का सार।

साहित्य की थीम	प्रतिनिधि निष्कर्ष	अध्ययन में उपयोगिता

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

संवैधानिक संरक्षण	पांचवीं अनुसूची, अनुच्छेद 244, 338A और 342 जनजातीय पहचान व प्रशासन का आधार हैं।	कानूनी ढांचे की नींव स्पष्ट करता है।
पेसा और ग्राम सभा	अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन तभी प्रभावी है जब ग्राम सभा की सहमति/सिफारिश को वास्तविक महत्व मिले।	छत्तीसगढ़ पेसा नियम 2022 का विश्लेषण संभव बनाता है।
वन अधिकार और CFR	FRA ऐतिहासिक अन्याय को सुधारता है और समुदाय को वन संसाधनों का अधिकारधारी बनाता है।	वन-आधारित आजीविका और सामुदायिक संसाधन न्याय को समझता है।
विस्थापन और संसाधन संघर्ष	खनन व परियोजनाएं भूमि, जंगल और संस्कृति पर दबाव पैदा करती हैं।	छत्तीसगढ़ की सामाजिक-कानूनी चुनौतियों को संदर्भ देता है।
न्यायिक व्याख्या	Samatha, Niyamgiri और Nandini Sundar जैसे मामले अधिकारों की संवैधानिक सीमा बताते हैं।	न्यायालयों की भूमिका और विधि की व्याख्या स्पष्ट होती है।

3.1 शोध अंतराल

उपलब्ध साहित्य में संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक समस्याओं की चर्चा अलग-अलग मिलती है, परंतु दोनों को छत्तीसगढ़ के स्थानीय संदर्भ में समेकित रूप से समझने की आवश्यकता है। कई अध्ययन जनजातीय कल्याण योजनाओं पर केंद्रित हैं, जबकि विधिक अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन, ग्राम सभा की स्वायत्तता, वन अधिकारों की मान्यता और भूमि-सुरक्षा के बीच संबंध पर कम ध्यान दिया जाता है। यह शोध-पत्र इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है।

4. शोध पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और सामाजिक-कानूनी पद्धति पर आधारित है। वर्णनात्मक इसलिए कि यह संविधान, विधियों और संस्थागत प्रावधानों का व्यवस्थित विवरण प्रस्तुत करता है। विश्लेषणात्मक इसलिए कि यह उन प्रावधानों की प्रभावशीलता और सीमाओं की जांच करता है। सामाजिक-कानूनी इसलिए कि यह कानून को समाज से अलग नहीं देखता बल्कि यह पूछता है कि कानून जनजातीय समुदायों के वास्तविक जीवन में किस प्रकार लागू होता है।

अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। प्राथमिक क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। स्रोतों में भारत का संविधान, भारत कोड पर उपलब्ध केंद्रीय अधिनियम, जनजातीय कार्य मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय की सामग्री, छत्तीसगढ़ सरकार की आधिकारिक जानकारी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, Xaxa समिति की रिपोर्ट और अकादमिक साहित्य शामिल हैं।

तालिका 3. शोध पद्धति का ढांचा।

घटक	विवरण	उद्देश्य
शोध प्रकार	वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक सामाजिक-कानूनी अध्ययन	कानून और सामाजिक वास्तविकता को साथ पढ़ना

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

भौगोलिक फोकस	भारत का संवैधानिक ढांचा, छत्तीसगढ़ का विशेष संदर्भ	राष्ट्रीय विधि और स्थानीय क्रियान्वयन का संबंध समझना
स्रोत	संविधान, अधिनियम, सरकारी पोर्टल, न्यायिक निर्णय, रिपोर्ट	विश्वसनीय द्वितीयक सामग्री पर आधारित विश्लेषण
इकाई	अनुसूचित जनजाति समुदाय, ग्राम सभा, राज्य संस्थाएं	अधिकारधारी और अधिकार-प्रदायक संस्थाओं का संबंध देखना
सीमा	कोई प्राथमिक सर्वेक्षण/सांख्यिकीय मॉडल नहीं	निष्कर्षों को व्याख्यात्मक और नीतिगत रूप में रखना

4.1 विश्लेषणात्मक चर

तालिका 4. जनजातीय अधिकार संरक्षण के विश्लेषणात्मक आयाम।

आयाम	संकेतक	अपेक्षित महत्व
संवैधानिक सुरक्षा	आरक्षण, TAC, NCST, पांचवीं अनुसूची, अनु. 46	राज्य की विशेष जिम्मेदारी और प्रतिनिधित्व
स्वशासन	ग्राम सभा की बैठक, प्रस्ताव, सहमति/परामर्श, पारंपरिक संस्थाएं	PESA की वास्तविकता और लोकतांत्रिक भागीदारी
भूमि व वन अधिकार	IFR, CFR, MFP, भूमि-अन्य संक्रमण, अधिग्रहण	आजीविका, संस्कृति और संसाधन नियंत्रण
न्याय तक पहुंच	SC/ST Act, विशेष अदालतें, कानूनी सहायता, शिकायत तंत्र	गरिमा और सुरक्षा की संस्थागत उपलब्धता
कार्यान्वयन-अंतर	दावे की अस्वीकृति, दस्तावेजी प्रमाण, प्रशासनिक देरी	कानून और व्यवहार के बीच दूरी

5. डाटा संकलन और विश्लेषण रणनीति

इस शोध में डाटा से तात्पर्य केवल संख्यात्मक आंकड़ों से नहीं बल्कि विधिक और संस्थागत सामग्री से भी है। जनजातीय अधिकारों का सामाजिक-कानूनी अध्ययन करने के लिए कानून के प्रावधान, आधिकारिक आंकड़े, न्यायिक निर्णय और स्थानीय प्रशासनिक संरचना को साथ पढ़ना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जनसंख्या, जनजातीय उप-योजना क्षेत्र, आदिवासी विकास खंड, आरक्षित विधानसभा सीटें, प्रमुख जनजातियां और PVTG से जुड़े तथ्य विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार के जनजातीय एवं अनुसूचित जाति विभाग के अनुसार 2011 की जनगणना में राज्य की कुल जनसंख्या 255.45 लाख और अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख थी। राज्य में 146 विकासखंडों में से 85 आदिवासी विकासखंड बताए गए हैं। विधानसभा की 90 सीटों में 44 सीटें आरक्षित हैं जिनमें 34 अनुसूचित जनजाति और 10 अनुसूचित जाति के लिए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय प्रश्न कोई परिधीय मुद्दा नहीं बल्कि राज्य की शासन-व्यवस्था का केंद्रीय प्रश्न है।

तालिका 5. छत्तीसगढ़ में जनजातीय संदर्भ के प्रमुख संकेतक।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

सूचक	छत्तीसगढ़ से संबंधित तथ्य	सामाजिक-कानूनी अर्थ
कुल जनसंख्या	255.45 लाख (जनगणना 2011)	राज्य के समग्र जनसांख्यिकीय आधार को दर्शाता है।
ST जनसंख्या	78.22 लाख	राज्य की लगभग एक-तिहाई आबादी जनजातीय अधिकारों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है।
आदिवासी विकासखंड	146 में से 85	विकास प्रशासन में जनजातीय फोकस की आवश्यकता।
आरक्षित विधानसभा सीटें	90 में 44; इनमें 34 ST और 10 SC	राजनीतिक प्रतिनिधित्व का संवैधानिक महत्व।
प्रमुख जनजातियां	गोंड, माड़िया, मुरिया, दोरला, उरांव, कंवर, बैगा, हल्बा आदि	एकसमान "आदिवासी" श्रेणी के भीतर विविधता को समझने की जरूरत।
PVTG	बैगा, कमार, हिल कोरबा, बिरहोर, अबूझमाड़िया आदि	विशेष संरक्षण और अधिक संवेदनशील नीति की आवश्यकता।

5.1 छत्तीसगढ़ में अधिकारों की संस्थागत स्थिति

छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों का संस्थागत ढांचा कई स्तरों पर कार्य करता है। राज्य स्तर पर जनजातीय और अनुसूचित जाति विकास विभाग, आदिम जाति कल्याण योजनाएं, जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, छात्रावास, छात्रवृत्ति, जनजातीय उप-योजना और विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए एजेंसियां कार्य करती हैं। संवैधानिक स्तर पर पांचवीं अनुसूची, राज्यपाल की भूमिका और जनजातीय सलाहकार परिषद महत्त्वपूर्ण हैं।

स्थानीय स्तर पर ग्राम सभा सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है। पेसा और FRA दोनों ग्राम सभा को अधिकार-निर्णय की प्रक्रिया में केंद्र में रखते हैं। यदि ग्राम सभा केवल प्रशासनिक औपचारिकता बन जाए तो विधिक संरक्षण कमजोर हो जाता है। इसके विपरीत, यदि ग्राम सभा को वास्तविक सूचना, दस्तावेज़, नक्शे, तकनीकी सहायता और स्वतंत्र निर्णय का अवसर दिया जाए तो वह भूमि, वन और संस्कृति के संरक्षण में प्रभावी संस्था बन सकती है।

5.2 वन अधिकारों की विश्लेषणात्मक स्थिति

वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दावे की प्रक्रिया ग्राम सभा से शुरू होती है। ग्राम सभा वन अधिकार समिति का गठन करती है, दावों की जांच करती है और उपखंड तथा जिला स्तर की समितियों को प्रस्ताव भेजती है। कानून की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकारों की प्रथम मान्यता राज्य की नौकरशाही के बजाय समुदाय-आधारित संस्था से प्रारंभ होती है। फिर भी व्यवहार में समुदायों को राजस्व नक्शे, वन सीमांकन, पुराने रिकॉर्ड, उपग्रह मानचित्र, साक्ष्य और अपील प्रक्रिया तक पहुंच में कठिनाई होती है।

छत्तीसगढ़ में सामुदायिक वन अधिकार विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण हैं। यदि समुदाय को केवल व्यक्तिगत खेती के छोटे पट्टे मिलें और सामुदायिक वन संसाधन पर अधिकार न मिले तो वनाधारित आजीविका, लघु वनोपज अर्थव्यवस्था और संरक्षण-प्रबंधन कमजोर रह जाएगा। FRA की धारा 3(1)(c) लघु वनोपज पर अधिकार को मान्यता देती है, जबकि सामुदायिक वन संसाधन अधिकार ग्राम सभा को संरक्षण और प्रबंधन की भूमिका देते हैं। अतः FRA का प्रभाव अधिकार-पत्रों की संख्या से अधिक समुदाय की वास्तविक नियंत्रण क्षमता से मापा जाना चाहिए।

6. विश्लेषणात्मक चर्चा

6.1 संवैधानिक वादा और व्यवहारिक अंतर

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

भारत का संवैधानिक ढांचा जनजातीय समुदायों को दोहरी सुरक्षा देता है: समानता और विशेष संरक्षण। समानता उन्हें सामान्य नागरिक अधिकार देती है, जबकि विशेष संरक्षण उन्हें ऐतिहासिक वंचना और विशिष्ट सांस्कृतिक-संसाधन संबंधों के कारण अतिरिक्त सुरक्षा देता है। परंतु संवैधानिक वादा तभी प्रभावी होगा जब राज्य की संस्थाएं संरक्षण को अधिकार के रूप में देखें, दया या कल्याण के रूप में नहीं।

व्यवहारिक अंतर कई रूपों में दिखता है। भूमि-अधिकारों की मान्यता के लिए दस्तावेज़ मांगना उन समुदायों के विरुद्ध जा सकता है जिनकी भूमि-परंपरा लिखित रिकॉर्ड के बजाय मौखिक स्मृति और सामुदायिक उपयोग पर आधारित रही है। ग्राम सभा की सहमति कभी-कभी पूर्व-निर्धारित परियोजनाओं की औपचारिकता बन जाती है। वन विभाग और राजस्व विभाग के बीच समन्वय की कमी भी अधिकारों की देरी का कारण बनती है। इसीलिए कानून का मूल्यांकन उसके पाठ से अधिक उसकी प्रक्रिया से करना आवश्यक है।

6.2 ग्राम सभा: अधिकार का केंद्र या प्रशासनिक औपचारिकता?

पेसा और FRA दोनों में ग्राम सभा केंद्र में है। ग्राम सभा की अवधारणा भारतीय जनजातीय स्वशासन को मान्यता देती है और बताती है कि स्थानीय समुदाय अपने संसाधनों, परंपराओं और विकास-निर्णयों पर वैध अधिकार रखते हैं। किंतु ग्राम सभा की शक्ति कागज पर जितनी मजबूत है, व्यवहार में उतनी ही संवेदनशील है। यदि बैठक की सूचना स्थानीय भाषा में न हो, महिलाएं और हाशिये के सदस्य भाग न लें, रिकॉर्ड सही न बने, या प्रशासन पहले से निर्णय कर चुका हो, तो ग्राम सभा वास्तविक लोकतांत्रिक मंच नहीं रह जाती।

छत्तीसगढ़ में पेसा नियम 2022 के बाद यह अपेक्षा बढ़ी है कि ग्राम सभा अनुसूचित क्षेत्रों में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगी। इसके लिए ग्राम सभा की प्रक्रिया को पारदर्शी, समावेशी और अधिकार-आधारित बनाना होगा। ग्राम सभा को केवल “परामर्श देने वाली संस्था” मानना पेसा की आत्मा के विपरीत होगा। उसे स्थानीय संसाधनों पर निर्णय, विवाद-निपटान, लघु वनोपज, सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक न्याय से जुड़ी वास्तविक भूमिका मिलनी चाहिए।

6.3 न्यायपालिका की भूमिका

सर्वोच्च न्यायालय के अनेक निर्णय जनजातीय अधिकारों की व्याख्या में महत्त्वपूर्ण रहे हैं। Samatha v. State of Andhra Pradesh में न्यायालय ने अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी भूमि और खनन पट्टों के प्रश्न पर जनजातीय हितों की संवैधानिक रक्षा पर बल दिया। यद्यपि बाद की विधायी और नीतिगत स्थितियों में इस निर्णय की सीमा पर बहस रही है, फिर भी इसका मूल संदेश स्पष्ट है कि अनुसूचित क्षेत्र साधारण भूमि-बाजार के नियमों से संचालित नहीं किए जा सकते।

Orissa Mining Corporation v. Ministry of Environment and Forests, जिसे सामान्यतः Niyamgiri मामला कहा जाता है, ग्राम सभा की भूमिका के लिए ऐतिहासिक निर्णय है। न्यायालय ने डोंगरिया कोंध समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों से जुड़े प्रश्नों को ग्राम सभा के समक्ष रखने की बात कही। इस निर्णय से यह सिद्धांत मजबूत हुआ कि विकास-परियोजना की वैधता केवल पर्यावरणीय मंजूरी से नहीं बल्कि स्थानीय समुदायों के सांस्कृतिक और धार्मिक अधिकारों की मान्यता से भी जुड़ी है।

Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि सुरक्षा और विकास के नाम पर राज्य संवैधानिक सीमाओं से बाहर नहीं जा सकता। जनजातीय क्षेत्रों में राज्य की जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने की नहीं बल्कि नागरिकों की गरिमा, जीवन, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करने की भी है।

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

तालिका 6. प्रमुख न्यायिक निर्णय और जनजातीय अधिकारों की व्याख्या।

निर्णय	मुख्य प्रश्न	जनजातीय अधिकारों पर प्रभाव
Samatha v. State of Andhra Pradesh (1997)	अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि/खनन पट्टे और गैर-आदिवासी हित	जनजातीय भूमि-सुरक्षा और पांचवीं अनुसूची की संरक्षक भूमिका पर बल।
Orissa Mining Corporation v. MoEF (2013)	नियामगिरि में खनन, धार्मिक-सांस्कृतिक अधिकार और ग्राम सभा	ग्राम सभा को सांस्कृतिक व धार्मिक अधिकारों के निर्धारण में केंद्रीय भूमिका।
Nandini Sundar v. State of Chhattisgarh (2011)	सलवा जुडूम/SPO और मानवाधिकार	सुरक्षा नीति को संविधान, जीवन और गरिमा के मानकों से बांधा।
Indra Sawhney v. Union of India (1992)	आरक्षण और पिछड़े वर्गों की प्रतिनिधित्व नीति	सकारात्मक कार्रवाई के संवैधानिक सिद्धांत को व्यापक संदर्भ प्रदान।

6.4 भूमि, खनन और विस्थापन

छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों की सबसे कठिन परीक्षा भूमि, खनिज और वन-संसाधनों के प्रश्न पर होती है। राज्य में लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और अन्य खनिज संसाधन उपलब्ध हैं। खनन और औद्योगिक परियोजनाएं रोजगार, राजस्व और अवसंरचना के अवसर उत्पन्न कर सकती हैं, परंतु यदि भूमि-अधिग्रहण, पुनर्वास, ग्राम सभा की सहमति और पर्यावरणीय न्याय की प्रक्रिया कमजोर हो तो ये परियोजनाएं आदिवासी समुदायों के लिए विस्थापन, आजीविका-हानि और सांस्कृतिक विघटन का कारण बनती हैं।

पांचवीं अनुसूची और पेसा का उद्देश्य यह नहीं कि विकास रुक जाए, बल्कि यह है कि विकास समुदाय की भागीदारी, सूचना, सहमति और न्यायसंगत लाभ-वितरण के साथ हो। यदि किसी परियोजना से जनजातीय समुदाय की भूमि, देवस्थल, दफन-स्थल, जल स्रोत या वनोपज प्रणाली प्रभावित होती है तो उसका मूल्यांकन केवल मुआवजे की राशि से नहीं किया जा सकता। विधिक संरक्षण का अर्थ है कि निर्णय-प्रक्रिया में समुदाय की आवाज को निर्णायक महत्व मिले।

6.5 जनजातीय महिलाएं और अधिकारों की लैंगिक परत

जनजातीय अधिकारों की चर्चा में महिलाओं की भूमिका को अलग से पहचानना आवश्यक है। महिलाएं वनोपज संग्रह, बीज-संरक्षण, खाद्य-सुरक्षा, पानी, ईंधन, घरेलू अर्थव्यवस्था और सामुदायिक सांस्कृतिक गतिविधियों में प्रमुख भूमिका निभाती हैं। फिर भी ग्राम सभा, वन अधिकार समिति और भूमि-पत्रों में उनकी आवाज पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं होती।

FRA के अंतर्गत व्यक्तिगत वन अधिकारों में संयुक्त नाम की व्यवस्था महिलाओं की भूमि-सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हो सकती है। पेसा ग्राम सभा में महिलाओं की भागीदारी को व्यवहारिक रूप से मजबूत करना आवश्यक है। यदि महिलाएं निर्णय-प्रक्रिया में नहीं हैं तो जल, जंगल और जमीन की चर्चा अधूरी रह जाती है। छत्तीसगढ़ में तेंदूपत्ता, महुआ और अन्य लघु वनोपज आधारित आजीविका में महिलाओं की भूमिका को विधिक पहचान और बाजार-सुरक्षा से जोड़ना चाहिए।

6.6 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की स्थिति

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTGs) की स्थिति सामान्य ST नीति से अलग संवेदनशीलता मांगती है। छत्तीसगढ़ में बैगा, कमार, हिल कोरबा, बिरहोर और अबूझमाड़िया जैसे समूहों के संदर्भ में स्वास्थ्य,

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

पोषण, आवास, शिक्षा, भाषा, वन-अधिकार और सांस्कृतिक संरक्षण को एकीकृत रूप से देखना होगा। इनके लिए केवल मुख्यधारा में समावेशन की नीति पर्याप्त नहीं है; नीति में उनकी जीवन-पद्धति, भाषा और स्थानिक निर्भरता का सम्मान होना चाहिए।

कानून की दृष्टि से PVTG के लिए "एक जैसा समाधान" उचित नहीं है। दस्तावेजी प्रमाण, वन अधिकार दावे, पहचान प्रमाणपत्र, स्कूल पहुंच और स्वास्थ्य सेवाएं इनके लिए अधिक कठिन हो सकती हैं। इसलिए विधिक सहायता, मोबाइल प्रशासन, मातृभाषा-आधारित संवाद और समुदाय-परामर्श अनिवार्य होने चाहिए।

6.7 अत्याचार निवारण कानून और न्याय तक पहुंच

SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम जनजातीय समुदायों को हिंसा, अपमान और सामाजिक उत्पीड़न से बचाने का विशेष कानून है। परंतु इस कानून की प्रभावशीलता FIR दर्ज करने, जांच की गुणवत्ता, गवाह संरक्षण, विशेष अदालतों की गति, मुआवजा और पुनर्वास, तथा पीड़ित की सुरक्षा पर निर्भर करती है। जनजातीय क्षेत्रों में भाषा, दूरी, गरीबी और प्रशासनिक भय न्याय तक पहुंच को प्रभावित करते हैं।

छत्तीसगढ़ में जब भूमि, वन या संसाधन विवाद सामाजिक तनाव में बदलते हैं तो अत्याचार निवारण कानून का महत्व बढ़ जाता है। यह कानून केवल दंडात्मक साधन नहीं बल्कि गरिमा-आधारित नागरिकता का संरक्षण है। इसके लिए पुलिस, अभियोजन और न्यायालयों को जनजातीय संदर्भों की संवेदनशील समझ विकसित करनी होगी।

6.8 छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन की प्रमुख चुनौतियां

तालिका 7. छत्तीसगढ़ में कार्यान्वयन चुनौतियां और समाधान।

चुनौती	व्यवहारिक रूप	संभावित समाधान
ग्राम सभा की कमजोर क्षमता	कानूनी जानकारी, भाषा, रिकॉर्ड और तकनीकी सहायता की कमी	स्थानीय भाषा में प्रशिक्षण, स्वतंत्र सुविधा-समर्थन और पारदर्शी रिकॉर्ड
वन अधिकार दावों में देरी	साक्ष्य, सीमांकन और अपील प्रक्रिया में कठिनाई	FRA प्रक्रिया का समयबद्ध डिजिटलीकरण और ग्राम सभा-केंद्रित सत्यापन
भूमि-अन्य संक्रमण	कर्ज, दबाव, धोखाधड़ी या रिकॉर्ड हेरफेर से भूमि हस्तांतरण	धारा 170-B जैसे प्रावधानों का सक्रिय उपयोग और कानूनी सहायता
खनन/परियोजना दबाव	परामर्श की औपचारिकता और पुनर्वास की कमजोरी	पूर्व सूचना, स्वतंत्र सामाजिक प्रभाव आकलन और लाभ-साझेदारी
न्यायिक पहुंच	दूरी, खर्च, भाषा और संस्थागत भय	कानूनी सहायता केंद्र, मोबाइल न्याय क्लिनिक और समुदाय पैरालीगल
महिला भागीदारी	ग्राम सभा और अधिकार-पत्रों में सीमित आवाज	महिला वन अधिकार समूह, संयुक्त पट्टा और बैठक समय का पुनर्निर्धारण

7. निष्कर्षात्मक अवलोकन

पहला निष्कर्ष यह है कि भारत का संवैधानिक ढांचा जनजातीय अधिकारों को केवल संरक्षणात्मक नहीं बल्कि भागीदारी-आधारित अधिकार के रूप में देखता है। अनुच्छेद 244, पांचवीं अनुसूची, पेसा और FRA मिलकर यह संदेश देते हैं कि अनुसूचित क्षेत्रों का शासन स्थानीय समुदायों की स्वीकृति और भागीदारी के बिना न्यायसंगत नहीं

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

माना जा सकता।

दूसरा निष्कर्ष यह है कि छत्तीसगढ़ में जनजातीय अधिकारों का प्रश्न राज्य की मुख्यधारा से अलग नहीं बल्कि राज्य की संरचना के केंद्र में है। ST जनसंख्या, आदिवासी विकासखंड, अनुसूचित क्षेत्र और वन-संसाधन का घनिष्ठ संबंध बताता है कि नीति-निर्माण में जनजातीय दृष्टिकोण को केंद्रीय स्थान मिलना चाहिए।

तीसरा निष्कर्ष यह है कि कार्यान्वयन-अंतर सबसे बड़ी समस्या है। कानून मजबूत हैं, परंतु दस्तावेजी प्रमाण, ग्राम सभा की प्रक्रिया, विभागीय समन्वय, संसाधन-हित और न्यायिक पहुंच में कमी अधिकारों को कमजोर करती है। इसलिए सुधार केवल नए कानून बनाने में नहीं बल्कि मौजूदा कानूनों की संस्थागत प्रभावशीलता बढ़ाने में है।

चौथा निष्कर्ष यह है कि जनजातीय अधिकारों की रक्षा विकास-विरोधी नहीं है। इसके विपरीत, यह विकास को संवैधानिक, सहभागी और टिकाऊ बनाती है। यदि विकास जल-जंगल-जमीन, संस्कृति और ग्राम सभा को नष्ट करके होगा तो वह अल्पकालिक आर्थिक लाभ दे सकता है लेकिन दीर्घकालीन सामाजिक संघर्ष उत्पन्न करेगा।

8. नीति सुझाव

1. ग्राम सभा सशक्तिकरण: पेसा और FRA से जुड़े सभी निर्णयों की सूचना स्थानीय भाषा में दी जाए। ग्राम सभा की कार्यवाही वीडियो/लेखबद्ध रूप से सुरक्षित हो और महिलाओं तथा PVTG सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

2. वन अधिकारों की पारदर्शी प्रक्रिया: दावों की अस्वीकृति के कारण लिखित रूप में दिए जाएं। अपील प्रक्रिया सरल हो और समुदाय को नक्शा, अभिलेख और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाए।

3. सामुदायिक वन संसाधन अधिकार: FRA को केवल व्यक्तिगत पट्टों तक सीमित न रखा जाए। CFR और लघु वनोपज पर ग्राम सभा के अधिकारों को बाजार, परिवहन और मूल्य-वृद्धि से जोड़ा जाए।

4. भूमि-अधिकार और विस्थापन संरक्षण: छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 170-B और LARR Act के विशेष प्रावधानों का कठोर क्रियान्वयन हो। अनुसूचित क्षेत्रों में सामाजिक प्रभाव आकलन स्वतंत्र और समुदाय-समर्थित होना चाहिए।

5. कानूनी सहायता और न्याय तक पहुंच: जनजातीय क्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण, लोक अदालत, मोबाइल कानूनी क्लिनिक और स्थानीय भाषा में पैरालीगल कार्यकर्ताओं की व्यवस्था की जाए।

6. लैंगिक न्याय: महिलाओं को वन अधिकार समिति, ग्राम सभा और लघु वनोपज सहकारी समितियों में निर्णायक भूमिका दी जाए। संयुक्त भूमि-पत्रों और महिला-केंद्रित आजीविका योजनाओं को बढ़ावा दिया जाए।

7. सुरक्षा-नीति में अधिकार-आधारित दृष्टि: संघर्ष-प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस और प्रशासनिक कार्रवाई संविधान, मानवाधिकार और ग्राम सभा संवाद के ढांचे में हो। Nandini Sundar निर्णय के सिद्धांतों को नीतिगत प्रशिक्षण में शामिल किया जाए।

8. डेटा और जवाबदेही: FRA, PESA, भूमि-वापसी, अत्याचार मामलों और पुनर्वास पर जिला-वार सार्वजनिक डैशबोर्ड हो। स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण को नियमित किया जाए।

तालिका 8. अधिकार-आधारित नीति ढांचा।

अधिकार सिद्धांत	नीति क्षेत्र	मुख्य कार्रवाई	अपेक्षित प्रभाव

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

स्वशासन	PESA	ग्राम सभा की पूर्व-सूचना, स्वतंत्र कार्यवाही और प्रशिक्षण	सार्थक भागीदारी और स्थानीय वैधता
संसाधन न्याय	FRA/CFR	सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों की प्राथमिकता	आजीविका और संरक्षण दोनों मजबूत
गरिमा	SC/ST Act	विशेष अदालत, कानूनी सहायता, गवाह संरक्षण	अत्याचार रोकथाम और न्यायिक भरोसा
भूमि-सुरक्षा	LARR व राज्य भूमि कानून	भूमि-वापसी, पारदर्शी SIA और पुनर्वास	विस्थापन और शोषण में कमी
समान अवसर	शिक्षा/रोजगार	छात्रावास, छात्रवृत्ति, स्थानीय भाषा शिक्षा, कौशल	क्षमता-विस्तार और प्रतिनिधित्व

9. सीमाएं और भविष्य का अध्ययन

इस शोध की पहली सीमा यह है कि इसमें प्राथमिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए यह जनजातीय परिवारों, ग्राम सभा सदस्यों, वन अधिकार समितियों या स्थानीय अधिकारियों के प्रत्यक्ष अनुभवों का सांख्यिकीय प्रतिनिधित्व नहीं करता। दूसरी सीमा यह है कि जनजातीय अधिकारों का प्रश्न अत्यंत स्थानीय है; अलग-अलग जिले, जनजातियां और परियोजनाएं अलग परिस्थितियां रखती हैं। तीसरी सीमा यह है कि सरकारी आंकड़ों और स्वतंत्र अध्ययनों में कभी-कभी अंतर मिलता है, इसलिए निष्कर्षों को सावधानी से पढ़ना चाहिए।

भविष्य में इस विषय पर जिला-स्तरीय क्षेत्रीय अध्ययन उपयोगी होगा। बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जशपुर, कोरबा और कांकेर जैसे क्षेत्रों में ग्राम सभा की कार्यवाही, वन अधिकार दावों, लघु वनोपज अर्थव्यवस्था और भूमि-वापसी मामलों का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं, PVTG और विस्थापित समुदायों के अनुभवों को केंद्र में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए।

सार-संक्षेप

यह शोध-पत्र भारत में जनजातीय अधिकारों के संवैधानिक और विधिक संरक्षण का छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में सामाजिक-कानूनी विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को केवल समानता का सामान्य अधिकार नहीं देता, बल्कि उनके ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और संसाधन-आधारित जीवन को ध्यान में रखकर विशेष संरक्षण की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 244, 275(1), 338A और 342, पांचवीं अनुसूची, आरक्षण, NCST और जनजातीय सलाहकार परिषद इस ढांचे के प्रमुख तत्व हैं।

विधिक स्तर पर पेसा अधिनियम 1996 और वन अधिकार अधिनियम 2006 जनजातीय स्वशासन और संसाधन-अधिकारों की रीढ़ हैं। पेसा ग्राम सभा को अनुसूचित क्षेत्रों में निर्णय-प्रक्रिया का केंद्र बनाता है, जबकि FRA ऐतिहासिक अन्याय को सुधारते हुए वन-निवासी समुदायों को व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकार देता है। अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 गरिमा और सुरक्षा का दंडात्मक संरक्षण देता है, जबकि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 विस्थापन और पुनर्वास में विशेष सुरक्षा की मांग करता है।

छत्तीसगढ़ में ये अधिकार विशेष महत्व रखते हैं क्योंकि राज्य की बड़ी आबादी अनुसूचित जनजाति से संबंधित है और राज्य के अनेक क्षेत्र वन, खनिज, ग्राम सभा और जनजातीय जीवन से गहरे जुड़े हैं। राज्य सरकार के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2011 में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 78.22 लाख थी और 85 विकासखंड

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPLORING EMERGING TRENDS IN ENGINEERING
Peer-Reviewed, Refereed, Indexed and International Journal, https://ijoeete.com/
(Peer Review Journal as per UGC 2025 Standard Guidelines)
|ISSN No. 2394-0573 |Volume: 12, Issue: 4 | October – December 2025

आदिवासी विकासखंड के रूप में बताए गए हैं। यह बताता है कि जनजातीय अधिकार राज्य की शासन-व्यवस्था के केंद्र में हैं।

अध्ययन का अंतिम निष्कर्ष यह है कि भारत में जनजातीय अधिकारों के लिए विधिक आधार मजबूत है, परंतु क्रियान्वयन-अंतर गंभीर है। अधिकार तभी वास्तविक होंगे जब ग्राम सभा को वास्तविक शक्ति, वन अधिकारों को पारदर्शी मान्यता, महिलाओं और PVTG को समुचित भागीदारी, भूमि-अधिग्रहण में न्यायपूर्ण प्रक्रिया और अत्याचार मामलों में त्वरित न्याय मिलेगा। छत्तीसगढ़ का अनुभव यह सिखाता है कि जनजातीय अधिकारों की रक्षा विकास-विरोध नहीं बल्कि संविधान-सम्मत, सहभागी और न्यायपूर्ण विकास की शर्त है।

संदर्भ

- भारत का संविधान, 1950। विशेष रूप से अनुच्छेद 15(4), 16(4), 46, 244, 275(1), 330, 332, 338A और 342 तथा पांचवीं अनुसूची।
- भारत सरकार, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। (2014)। भारत के जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक, स्वास्थ्य और शैक्षिक स्थिति पर उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट (Xaxa समिति रिपोर्ट)।
- भारत सरकार, जनजातीय मामलों का मंत्रालय। वन अधिकार अधिनियम, 2006 सूचना एवं कार्यान्वयन सामग्री। https://tribal.nic.in/fra.aspx
- भारत संहिता। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996। https://www.indiacode.nic.in
- भारत संहिता। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006। https://www.indiacode.nic.in
- भारत संहिता। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989। https://www.indiacode.nic.in
- भारत संहिता। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013। https://www.indiacode.nic.in
- पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार। छत्तीसगढ़ पंचायत प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) नियम, 2022। https://panchayat.gov.in
- जनजातीय और अनुसूचित जाति विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार। प्रारंभिक जानकारी। https://tribal.cg.gov.in
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अनुच्छेद 338ए के तहत संवैधानिक जनादेश और संबंधित सामग्री। https://ncst.nic.in
- समथा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (1997) 8 एससीसी 191.
- ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, (2013) 6 एससीसी 476.
- नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, (2011) 7 एससीसी 547.
- इंद्र साहनी बनाम भारत संघ, 1992 अनुपूरक (3) एससीसी 217.
- बाविस्कर, ए. (2005). नदी की गोद में: नर्मदा घाटी में विकास को लेकर जनजातीय संघर्ष। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।
- सुंदर, एन. (2016). जलता हुआ जंगल: बस्तर में भारत का युद्ध। जगनॉट।
- ज़ाक्सा, वी. (2008). राज्य, समाज और जनजातियाँ: उत्तर-औपनिवेशिक भारत में मुद्दे। पियर्सन।
- शाह, ए. (2010). राज्य की छाया में: झारखंड, भारत में स्वदेशी राजनीति, पर्यावरणवाद और विद्रोह। ड्यूक यूनिवर्सिटी प्रेस।